प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **93/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

रमेश वैष्णव महामंत्री देहात जिला किसान कांग्रेस, उदयपुर पता: 52, हेमराज पानेरी जी की गली, राव जी का हाटा, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.06.2024 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/93/24/925–26 दिनांक 30.07.2024 से लिखा गया।

जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/93/2024/712 दिनांक 01.08.2024 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 651 दिनांक 16.07.2024 से शुल्क जमा कर उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया। बिन्दु संख्या 3 की सूचना हेतु अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर, उदयपुर को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 505–07 दिनांक 06.07.2023 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया जिसकी सूचना से प्रार्थी को पूर्व में सूचित कर दिया गया था। अतः अपील खारिज फरमायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 से संबंधित सूचना तैयार कर अपने कार्यालय के पत्रांक 651 दिनांक 16.07.2024 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। शुल्क जमा कराने के अभाव में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। बिन्दु संख्या 3 का संबंध अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर, उदयपुर से होने से उनके कार्यालय के पत्रांक 505–07 दिनांक 06.07.2023 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया है, एवं बिन्दु संख्या 3 का संबंध अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर, उदयपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की ज़ाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में वांछित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त कर सकता है तथा बिन्दु संख्या 3 के संबंध में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर, उदयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है एवं सूचना नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल कर सकता है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर